

पत्रावली सं० 6/2021 सरकार बनाम श्री. सुरेश पानी 72.7 सिंह

आज्ञा का त्रिनिक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
------------------	--------------------	--

23/02/21) आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी इल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री श्री. सुरेश पानी 72.7 सिंह पुत्र श्री राजराज जाति राजराज निवासी N.B.W.M 'A' में फसल रबी/खरीफ संवत्/सेतु 2077 में गांव/चक नं० N.B.W.M 'A' के मु० नं० 22, 25 में 934 80 बीघा स्थित व — असिंचित कुल 934 80 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।

अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक फकीय कार्यवाही की जाती है।

वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुना गुणा पेनल्टी राशि रू० 274 अखरे रू० बीत सो चोकर अधिशेषित की जाती है। रूपे मात्र

यू अभिलेख निरीक्षक इल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाय करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्लायत कराई जावे पटवारी इल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।

वृ 20-20-2021 क घा रजिस्टर
 पल संख्या 235 की क्रम
 6
 374

उप तहसीलदार
 तहसीलदार (पंचसव)
 जिला सीकर
 राजसिंहनगर